श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक – 02.01.2019 को राज्य के सभी नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र/ए.सी./डी.सी. विपत्र/लोक लेखा समिति की कंडिका एवं महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन आदि की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति पंजी के अनुसार –

सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के सभी नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र, ए.सी./डी.सी. विपत्र/लोक लेखा समिति की कंडिका एवं महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गई। बैठक के क्रम में निम्न निर्देश दिए गए:–

- **अव्यवहृत राशि जमा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना** – समीक्षा के क्रम में नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2015–16 तक सहायक अनुदान मद की वैसी आवंटित राशि जिसका उपयोग अब तक नहीं किया गया है और पंचायतों के पी.एल./बैंक खाता में निष्क्रिय पड़ा हुआ है उसकी शत–प्रतिशत राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगली बैठक तक विभाग को समर्पित किया जाए।

- **लंबित राशि का उपयोगिता प्रमाण**–पत्र उपलब्ध **कराना** – सहायक अनुदान मद में आवंटित की गई राशि के विरूद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि की समीक्षा के क्रम में नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को समर्पित किया गया :–

  इस्लामपुर – 6,56,000/–, घोघरडीहा – 1,39,17,831/–, महुआ – 2,20,41,688/–, जगदीशपुर – 3,07,48,868/–, नासरीगंज – 1,35,019/–, ठाकुरगंज – 31,23,800/–, एकमाबाजार – 7,55,874/–, परसाबाजार – 5,30,91,055/–, राजगीर – 5,73,00,000/–, रिविलगंज – 76,00,101/–,

हिसुआ – 3,12,000/–, झंझारपुर – 5,17,40,735/–, मोहनिया – 31,74,908/–, साहेबगंज – 67,70,421/–, फारबिसगंज – 1,82,43,167/– शेष उपस्थित नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व अनुदान मद की अवशेष राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।

- **लंबित ए.सी./डी.सी. विपत्र** – समीक्षा के क्रम में नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया गया कि जिस नगर पंचायत में ए.सी./डी.सी. विपत्र लंबित है, उसका समायोजन कराने का उत्तरदायित्व उसी नगर पंचायतों का है। इसके लिए नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि लंबित ए.सी. राशि का डी.सी. विपत्र शीघ्र महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसका समायोजन कराने हेतु किसी कर्मी को प्राधिकृत किया जाए जो महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना से सम्पर्क कर उसका समायोजन कराते हुए उससे संबंधित समायोजन पत्र अगली बैठक में विभाग को उपलब्ध करायेंगे। उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसका अनुपालन कर अगली बैठक में समर्पित कर दिया जाएगा।

- **लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन** – समीक्षा के क्रम में पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (ले० प०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराने हेतु दिनांक – 13.01.2019 से 15.03.2019 तक का समय निर्धारित किया गया है:–

(लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०/वर्ष)	अनुपालन का निर्धारित समय
खुशरूपुर – 618/2008–09	13.01.2019
जोगबनी–1688/2015–16, मखदुमपुर–296/2016–17, इस्लामपुर–482/2012–13, परसाबाजार–1203/2014–15, दिघवारा–251/2013–14, 935/2014–15, लालगंज– 592/2008–09, रफीगंज–758/2013–14, मोतीपुर– 325/2009–10, झंझारपुर–649/2011–12, निर्मली – 340/2012–13, मेहसी–1081/2016–17, कांटी–295/2016–17, जनकपुररोड – 692/2017–18, बहादूरगंज–267/2016–17, कसवा–149/2007–08,मनेर–1134/2014–15, कोईलवर– 717/2007–08	15.01.2019
जनकपुर रोड – 177/2017–18, दलसिंहसराय – 288/2016–17, झंझारपुर – 161/2016–17, टिकारी – 808/2014–15, नासरीगंज – 187/2016–17, मढ़ौरा– 262/2009–10, मोहनिया – 965/2017–18	30.01.2019

रफीगंज – 1275/2015–16	31.01.2019
कसबा – 359/2011–12 कोईलवर – 326/2009–10	15.02.2019
कसबा – 472/2012–13	15.03.2019

- नगर पंचायत जगदीशपुर के प्रतिनिधि द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 957/2017–18 तैयार हो जाने की बात कहीं गई है। एक दो दिनों में महालेखाकार (ले० प०), बिहार को भेजते हुए विभाग को उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया गया।
- नगर पंचायत, वारसलीगंज के प्रतिनिधि द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 404/2007–08 महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेज देने की बात कहीं गई है, जिसकी प्रति एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
- नगर पंचायत, नोखा के प्रतिनिधि द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 298/2016–17 महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेजने की बात कहीं गई है, जिसकी प्रति एक सप्ताह में विभाग को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
- नगर पंचायत, टिकारी के प्रतिनिधि द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 440/2008–09 महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेजने की बात कहीं गई है, जिसकी प्रति पाँच दिनों में विभाग को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
- नगर पंचायत, मढ़ौरा के प्रतिनिधि द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 253/2013–14 महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेजने की बात कहीं गई है, जिसकी प्रति विभाग को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया गया।
- नगर पंचायत, बहादूरगंज के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 606/2006–07 महालेखाकार (ले०प०), बिहार, पटना को भेजने की बात कहीं गई, जिसकी प्रति विभाग को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया गया।

- समीक्षा के क्रम में विभागीय पदाधिकारी द्वारा प्रशाखा – 07 को निदेश दिया गया कि जिन नगर पंचायतों में तीन या तीन से अधिक अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन लंबित है उन नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु स्पष्टीकरण पूछा जाय।
- सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की लंबित कंडिकाओं की समीक्षा की गई तथा उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा लंबित कंडिका की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके। सभी को बताया गया कि वर्षवार एवं कंडिकावार लंबित सूची विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करा दिया गया है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक 07/निवि(न)-03/2018-16- पटना, दिनांक 25/01/19

प्रतिलिपि– कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. इस आशय की सूचना अपने निकायों के कर्मियों/प्रतिनिधियों को देते हुए बैठक की कार्यवाही के आलोक में अनुपालन कराते हुए उससे संबंधित प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया जाए।

सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक 07/निवि(न)-03/2018-16- पटना, दिनांक 25/01/19

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा – 07 के सभी सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग